

आरबी टेली नं. 3/2015

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

प्राप्त  
उजागरिए  
10/3/15

सं. 2011/टेली/6/(3)/11/पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक 18.2.15

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,  
प्लॉट नं. 143, इंस्टीट्यूशनल एरिया,  
गोल्डसाँक के समाने, सेक्टर-44,  
गुडगांव-122003.


टेलीकॉम परिपत्र सं. 3/2015

विषय : रेलवे शॉर्ट हॉल पीओपी से आरसीआईएल के उपकरणों के लिए डीसी पावर सप्लाई की व्यवस्था करना।

संदर्भ : दिनांक 18.11.2014 का आरसीआईएल/2005/डीएनएम/रेलवे/475/पार्ट

आरसीआईएल ने ऊपर संदर्भाधीन पत्र के तहत देश के ग्रामीण भागों में सेवाएं मुहैया कराने और सरकार के डिजीटल इण्डिया कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए वे साइड स्टेशनों (वर्तमान छोटे कर्षण स्थल) को डीसी पावर सप्लाई करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

बोर्ड (सदस्य बिजली) ने रेलवे की मौजूदा टेलीकॉम पावर सप्लाई से वे साइड स्टेशनों को निःशुल्क डीसी पावर की सप्लाई (यथा अपेक्षित 6/12/24/48 वोल्ट) की व्यवस्था करने का अनुमोदन किया है, यह सप्लाई अधिकतम 200 वॉट तक की खपत के लिए की जाएगी। आरसीआईएल पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैटरी बैंक से पावर सप्लाई प्राप्त करेगा।



o/c

10/3/15  
(शोभन चौधुरी)

कार्यपालक निदेशक(दूर संचार विकास)

ईमेल : [edtd@rb.railnet.gov.in](mailto:edtd@rb.railnet.gov.in)

फैक्स 030-44198/011-23304198

प्रतिलिपि सभी सीएसटीई को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।